

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक: 23/3/5-98 वि०-1121 दिनांक, चण्डीगढ़: 27.12.98

प्रकाश पब्लिशिंग हाउस लि. सारांश, चण्डीगढ़

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने 10+2 स्तर तक की सम्बन्धिता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समूह-2 पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

सन 0-सी 0 वधवा

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पूडठाकन क्रमांक सम दिनांक: 31.12.98

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी **चण्डीगढ़** को उनके यादी क्रमांक 1198/98 के तन्तर्भ में ।
2. **7636-37** दिनांक 28.12.98 के तन्तर्भ में ।
3. प्राचार्य/मुख्य अध्यापक **प्रकाश पब्लिशिंग हाउस लि. सारांश, चण्डीगढ़** सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्रकम्प्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली 110092.

आम राजवाँ
अधीक्षक विद्यालय-1 **आम 98**
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।